तारीख हुक्म	हूक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
1.2.23	पत्रावली अपीलान्ट अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी का पेश किये जाने पर आज सुनवाई हेतु ली गई। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी बाबत राजीनामा का पेश किया गया तथा निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम वायद तहसील रोहट में स्थित भूमि ख0सं0 80 रकबा भूमि का नामा0 संख्या 1143 दिनांक 20.8.21 को स्वीकृत किया गया जिसकी अपील रेस्पो0 सं0 1 से 5 द्वारा पेश की गई। अपील संख्या 18/2012 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.6.2014 को स्वीकृत हुई जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। दोनों पक्षों में राजीनामा हो रहा है एवं अपील संख्या 18/2012 रेस्पो0 सं0 1 से 5 जरिये विड्रोल खारिज करवाते है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर दिनांक 18.6.2014 को खारिज फरमावें। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2014 की पालना में तहसीलदार द्वारा द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 24/2015 व 5/2021 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को रेस्पो0 सं0 1 से 5 जरिये विड्रोल खारिज करवा रहे है। अपीलान्ट की अपील जरिये राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 को खारिज फरमावें। रेस्पो0 सं0 1 से 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रेस्पो0 स0 6 सोनाराम के हक में तर्क कर दिया है और हकतर्कनामा पंजीबद्ध करवा दिया है। रेस्पो0 सं0 1 से 6 की माता एवं रेस्पो0 सं0 6 द्वारा भूमि को आगे हस्तान्तरण कर दिया है जिसें सभी रेस्पोडेन्टस स्वीकार करते है और भविष्य में भी हस्तान्तरण बाबत किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे न ही हक लगायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील संख्या 85/2022 एवं 86/2022 स्वीकार की जाकर तहसीलदार रोहट द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 24/2015 व 05/2021 निर्णय दिनांक 26.11.2021 अनवान भुण्डकी के का0मु0 वगैराह बनाम सोनाराम एवं न्यायालय उपखंड अधिकारी, रोहट द्वारा अपील संख्या 18/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.6.2014 को अपास्त किया जावें। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय इत्यादि का अवलोकन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामें के अनुसार विचाराधीन राजस्व अपील 85/2022 एवं 86/2022 को लोक अदालत की भावना के अनुरूप स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट के द्वारा अपील संख्या 18/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2023 एवं तहसीलदार रोहट द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 24/2015 व 05/2021 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय नम्बर से कम की जावें। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर	रतनलाल BS RTI RST B LT